	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 23, बुधवार, शाके 1944-सितम्बर 14, 2022 *Bhadra 23, Wednesday , Saka 1944- September 14, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितंबर 14, 2022

जी.एस.आर.77 :-भारत के सविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 से सलंग्न अनुसूची में, शीर्ष "राजस्थान विधान सभा सचिवालय सेवा" के अधीन,-

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 17क को 17कक के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा; और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 17 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् तथा इस प्रकार पुन: संख्यांकित क्रम संख्यांक 17कक और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 17क और उसकी प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेंगी, अर्थात्

"

17क	प्रमुख अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी	100% पदोन्नति द्वारा	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	मुख्य अनुसंधान एवं संदर्भ अधिकारी	50:50 के अनुपात में योग्यता एवं वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर।	पद पर पदोन्नति अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जायेगी। पद के लिए

						उपयुक्तता की जांच करने के प्रयोजन के लिए वि.प.स. पदधारी के ए.पी.आर. और अन्य सेवा अभिलेख पर विचार करेगी।

"

[सं.एफ.8(2)संसद/2019 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीर भटनागर,
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, September 14, 2022

G.S.R.77 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, is pleased to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of Schedule**.- In Schedule appended to the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, under the heading Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service.-

(i) the existing serial number 17a shall be renumbered 17AA; and

(ii) after the existing serial number 17 and entries thereto and before the serial number 17AA, so renumbered and entries therto, the following new serial number 17A and entries thereto shall be inserted, namely:-

"

17A.	Principal Research and	100% by promotion	3 years experience on the post	Chief Research and	On the basis of merit and seniority	Promotion to the post shall be made on

	Reference Officer		mentioned in column 5	Reference Officer	cum merit in the proportion of 50:50	the recommendations of a Departmental Promotion Committee to be constituted by the Speaker. For the purpose of Judging suitability for the post the D.P.C. will consider the A.P.R's and other service record of the incumbent.

"

[No. F 8(2)Sansad/2019 Part]
By Order of the Governor,

Praveer Bhatnagar,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.